भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 453

05.02.2024 को उत्तर के लिए

सीओपी-28

453. श्री के. सुब्बारायण :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने दुबई में यूनाइटेड नेशन्स क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज (सीओपी)-28 में भाग लिया था; और

(ख) यदि हां, तो उसमें जिन विषयों पर चर्चा की गई उनका ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री

(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क): जी हाँ, भारत से एक अंतर-मंत्रालयी प्रतिनिधिमंडल ने 30 नवंबर 2023 से 13 दिसंबर 2023 तक दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (सीओपी 28) के 28 वें सत्र में भाग लिया था ।

(ख): सीओपी 28 में चर्चा किए गए विषयों में पहला वैश्विक स्टॉकटेक, अनुकूलन संबंधी वैश्विक लक्ष्य (जीजीए), हानि और क्षति निधि, जस्ट ट्रांजिशन पाथवे संबन्धित कार्यों के संबंध में कार्यक्रम का संचालन, हानि और क्षति संबंधी सैंटियागो नेटवर्क और पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 से संबंधित ममले शामिल थे।

फर्स्ट ग्लोबल स्टॉकटेक (जीएसटी) निर्णय में पक्षकारों से पेरिस समझौते और उनकी विभिन्न राष्ट्रीय परिस्थितियों, मार्गों और अन्य बातों के साथ-साथ, ऊर्जा प्रणालियों में जीवाश्म ईंधन से भिन्न रूपान्तरण से संबंधित दृष्टिकोणों को तर्कपूर्ण, व्यवस्थित और न्यायसंगत तरीके से ध्यान में रखते हुए, निर्बाध कोयला बिजली को चरणबद्ध तरीके से बंद करने की दिशा में प्रयासों में तेजी लाने, निवल शून्य उत्सर्जन ऊर्जा प्रणालियों की दिशा में विश्व स्तर पर प्रयासों में तेजी लाकर, सदी के मध्य से पहले या उसके आसपास शून्य और कम कार्बन वाले ईंधन का उपयोग करने और वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा को तीन गुना करके तथा वैश्विक स्तर पर क्षमता ऊर्जा दक्षता में सुधार की वैश्विक औसत वार्षिक दर दोगुना करके राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित तरीके से योगदान करने का आह्वान किया गया है। यह निर्णय विभिन्न राष्ट्रीय परिस्थितियों के आलोक में समानता और सामान्य किंतु अलग-अलग जिम्मेदारियों तथा संबंधित क्षमताओं के सिद्धांत को दर्शाते हुए सर्वोत्तम उपलब्ध विज्ञान के आधार पर कार्रवाई में तेजी लाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस निर्णय से वर्ष 2025 तक वैश्विक उत्सर्जन को चरम पर पहुंचाने की आवश्यकता का पता चलता है तथा

चरम पर पहुंचने की समय-सीमा सतत विकास, गरीबी उन्मूलन आवश्यकताओं और समानता एवं विभिन्न राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुरूप हो सकती है। इस निर्णय में इस बात पर जोर दिया गया कि वैश्विक कार्बन बजट अब छोटा है और तेजी से घट रहा है, और ऐतिहासिक संचयी शुद्ध कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन पहले से ही कुल कार्बन बजट का लगभग चार-पाँचवाँ हिस्सा है। प्रथम जीएसटी ने यह भी निर्णय लिया कि किसी भी एकतरफा उपाय को मनमाने या अनुचित भेदभाव या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रच्छन्न प्रतिबंध का साधन नहीं बनाया जाना चाहिए। विकसित देशों को अपने जलवायु संबंधी कार्यों के लिए विकासशील देशों को वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। उनसे वर्ष 2025 तक प्रति वर्ष 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर की प्रतिबद्धता को पूरा करने का भी आग्रह किया गया है।

अनुकूलन के लिए वैश्विक लक्ष्य निर्धारित करने के लिए पेरिस समझौते के तहत जनादेश के अनुरूप सीओपी 28 ने 'वैश्विक जलवायु अनुकूलता के लिए अमीरात कार्यढांचा' को अंतिम रूप दिया, जिसने पेय-जल की आपूर्ति, जलवायु-अनुकूल भोजन और स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं, अनुकूल मानव-व्यवस्था और संस्कृति के क्षेत्रों में वैश्विक लक्ष्य निर्धारित किए। इन लक्ष्यों में नाजुकता मूल्यांकन और बहु-खतरा प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों की स्थापना भी शामिल है।

हानि और क्षति पर प्रतिक्रिया देने के लिए एक कोष सहित नई वित्त पोषण व्यवस्था के संचालन पर निर्णय, जिसका सीओपी 27 में आश्वासन दिया गया था, को अपनाया गया। शुरुआती चार वर्ष की अवधि के लिए नए कोष की देखभाल विश्व बैंक द्वारा की जाएगी। 19 देशों ने हानि और क्षति से संबंधित निधि और वित्तपोषण संबंधी व्यवस्था के लिए कुल $792 मिलियन की प्रतिबद्धता जताई गई।

सीओपी28 ने एक 'जस्ट ट्रांजिशन वर्क कार्यक्रम' निर्धारित किया है। यह कार्यक्रम पेरिस समझौते के सभी स्तंभों पर महत्वाकांक्षी, न्यायसंगत कार्यान्वयन को बढ़ावा देगा। इसमें ऐसे रास्ते शामिल हैं जिनमें ऊर्जा, सामाजिक आर्थिक, कार्यबल और अन्य आयाम सम्मिलित हैं।

हानि और क्षति के लिए सैंटियागो नेटवर्क के संबंध में, आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (यूएनडीआरआर) और परियोजना सेवाओं के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (यूएनओपीएस) के संघ को पांच साल की प्रारंभिक अवधि के लिए सैंटियागो नेटवर्क सचिवालय की मेजबानी के लिए चुना गया था।

अनुच्छेद 6 निर्णय के तहत, गैर-बाजार दृष्टिकोण के लिए यूएनएफसीसीसी वेब-आधारित प्लेटफॉर्म के विकास पर चर्चा की गई। एक बार यूएनएफसीसीसी वेब-आधारित प्लेटफॉर्म पूरी तरह से चालू हो जाने पर पक्षकार अपने बाजार से इतर दृष्टिकोण की पहचान, विकास और कार्यान्वयन करेंगी।

*****